

कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

—विविध आदेश—

क्रमांक 28 / एक-11-1 / कार्य विभा.पत्र. / सां.अनु. / 19

ग्वालियर, दिनांक 12-03-2025

विद्युत अधिनियम, 2003 से उद्भूत मामलों की सुनवाई हेतु अधिसूचित विशेष न्यायालय, डबरा का पद रिक्त होने के कारण अतिआवश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय डबरा में पदस्थ प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, डबरा **श्रीमती ज्योति राजपूत** को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 की उपधारा 4 (ख) के अनुसार अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

(पी.सी. गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

1577

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-11-1 / कार्य विभा.नस्ती / सां.अनु. / 19 ग्वालियर, दिनांक 12-3-25

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल में माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर/डबरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. जे.एस.ए, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
6. ऑफिस मोहरर, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी.सी. गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर